न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–88,53 आरटीए
प्रकरण संख्या:–230/2019

1. बीरबलराम पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. नोरंगलाल पुत्र प्रेमराज जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शारदा पत्नी जगदीश पुत्री नोरंगलाल जाति जाट निवासी ईरड़की तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सरोज पत्नी सुधीर पुत्री नोरंगलाल जाति जाट निवासी ममेरां कंला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. मंजू पत्नी राकेश पुत्री नोरंगलाल जाति जाट निवासी ममेरा कलां तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. रामेश्वरी पत्नी नोरंगलाल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री नरेन्द्रपाल वर्मा अधिवक्ता वादी
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 11/10/2019

वादी महेन्द्र ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के दादा नोरंगलाल के नाम से चकनं0 8 जीजीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 214/67 में 201/285 मु0 48 किलानं0 19/3/.0150 है0 नहरी, व इसी चक के खातासं0 213/208 में कुल 2.487 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता, कुआं दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी पूर्व में वादी के पड़दादा प्रेमराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो विरास्तन वादी के दादा को प्राप्त हुई है इसलिएउपरोक्त भूमि पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति के सबूत के लिए पर्चा खतौनी संलग्न वाद पत्र है। वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां मे प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया था। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी को घरू बटवारां में वादपत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि प्राप्त हुई थी।वादपत्र की दफा 4 के अनुसार वादी को घरू बटवारां मे प्राप्त आराजी पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन वादपत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व किार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादी वादपत्र की दफा 4 के अनुसार अपने नाम से आराजी राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर अपनी भूमि का खाता अलग से कायम करवाकर चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 214/67 मे से प्रतिवादीसं0 1 नोरंगलाल का नाम कलमजन व चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 213/208 मे से प्रतिवादीसं0 1 नोरंगलाल का हिस्सा कम करवाना चाहता है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधि.
टिब्बी

Scanned by CamScanner

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1, 3 ता 5 द्वारा अपना राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया कि हम पक्षकारान का आपस मे राजीनामा हो गया है। हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है।वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादीसं0 1 का विरास्तन प्राप्त हुई है। वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां मे हम प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 ने व प्रतिवादीया सं0 2 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया था। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी को वादपत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि घरू बटवारां दी थी।उपरोक्त बटवारां के अनुसार वादी को घरू बटवारां मे प्राप्त आराजी पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। इसलिए उपरोक्त बटवारां के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 214/67 मे से प्रतिवादीसं0 1 नोरंगलाल का नाम कलमजन व चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 213/208 मे से प्रतिवादीसं0 1 नोरंगलाल का हिस्सा कम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। प्रतिवादीया सं0 2 द्वारा अपना जबाबदावा मय शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादीया सं0 2 द्वारा जबाबदावा में अंकित किया गया कि वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी में प्रतिवादीया कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। मुझ प्रतिवादीया ने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाती है तो मुझ प्रतिवादीया को कोई उज्र व एतराज नही है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया जबाबदावा मय शपथ पत्र तथा स्टेट जबाब शामिल मिसल किये गये।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वाद में राजीनामा व जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है।वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई।प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दीयो का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयॉ व पैतृक सम्पति के सबूत के लिए जमाबन्दीयॉ प्रस्तुत की गई है उन दस्तावेजो के आधार पर पैतृक सम्पति होना साबित है।प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक राजीनामा व जबाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा, जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 8 जीजीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 214/67 में प0नं0 201/285 मु0 48 किलानं0 19/3/.0150 है0 तथा चकनं0 8 जीजीआर के खातासं0 213/208 के प0नं0 201/285 मु0 48 किलानं0 16/1/.240, 16/2/.013 मय गै0मु0 कुआं, 17,18, 19/1/.139, 19/4/.036 है0 मय गै0मु0 रास्ता कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

जाकर चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 214/67 मे से प्रतिवादीसं0 1 नोरंगलाल का नाम कलमजन किया जावे तथा चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 213/208 मे से प्रतिवादीसं0 1 नोरंगलाल का हिस्सा कम कर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/10/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner